कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

➢ दौसा जिलें के लालसोट तहसील के सार्वजनिक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के समुन्द्र सिंह सहायक प्रशासनिक अधिकारी, विष्णु कुमार सैनी चतुर्थ श्रैणी कर्मचारी (सविंदा कर्मी) एवं हंसराज कम्प्यूटर ऑपरेटर (सविंदा कर्मी) को 6000/–रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार।

जयपुर, दिनांक 17 अक्टूबर, शुक्रवार। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी दौसा इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये परिवादी से उसके पीडब्ल्यूडी कार्यालय खण्ड लालसोट में डी क्लास ठेकेदारी का लाइसेंस बनाने की एवज में खण्ड लालसोट के सार्वजनिक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) में पदस्थापित आरोपी **समुन्द्र सिंह सहायक प्रशासनिक अधिकारी, विष्णु कुमार सैनी चतुर्थ श्रैणी कर्मचारी (सविंदा कर्मी) एवं हंसराज कम्प्यूटर ऑपरेटर प्राईवेट** को **6000/–रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमति स्मिता श्रीवास्तव** ने बताया कि एसीबी चौकी दौसा को दिनांक 15.10.2025 को एक शिकायत इस आशय की मिली कि परिवादी का डी क्लास ठेकेदारी का लाइसेंस बनाने की एवज में अधिशाषी अभियंता के नाम पर आरोपी समुन्द्र सिंह बाबू 5000/–रूपये एवं हंसराज 2500/–रूपये रिश्वत की मांग कर परिवादी को परेशान कर रहा है।

जिस पर एसीबी जयपुर रेंज के **उप महानिरीक्षक श्री राजेश सिंह** के सुपरवीजन में एसीबी दौसा के **उप अधीक्षक पुलिस श्री नवल किशोर** के नेतृत्व में आज **पुलिस निरीक्षक श्री रमेश चन्द** एवं अन्य के कार्यवाही करते हुये उक्त शिकायत पर दिनांक 16.10.2025 को उक्त रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया गया तो आरोपी समुन्द्र सिंह 1500/– रूपये परिवादी से प्राप्त करते हुये 3500/– रूपये अधिशाषी अभियंता को देने के लिये एवं हंसराज द्वारा 2500/– रूपये रिश्वत की मांग की गई। उक्त मांग के अनुसरण में आज दिनांक 17.10.2025 को आरोपी समुन्द्र सिंह द्वारा परिवादी से 3500/– रूपये प्राप्त कर चतुर्थ श्रैणी कर्मचारी विष्णु कुमार सैनी को दे दिये एवं आरोपी हंसराज द्वारा 2500/– रूपये रिश्वत के परिवादी से प्राप्त कर अपनी पहनी हुई पेंट की जेब में रख लिये आरोपीगण को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुये पकडा है एवं कुल रिश्वत राशि 6,000/–रूपये बरामद की जा चुकी है।

आरोपियों से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामलें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।